

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/बी-8-5/2016/14-2

भोपाल, दिनांक 20.10.2016

प्रति,

E-mail  
कार्यालय कलेक्टर बैतुल  
शाखा का नाम कृषि विकास विभाग  
22 OCT 2016  
अधी./अपर कले. कलेक्टर

1. कलेक्टर,  
जिला.....(समस्त)
2. उप संचालक,  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
जिला.....(समस्त)

विषय :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा दावा प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी  
विषयक।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि फसलों की जोखिम सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजना है। इसके प्रावधानों के अंतर्गत कृषकों को उपयुक्त रूप से लाभान्वित करने के लिए योजना की प्रक्रिया एवं गाईडलाईन का अध्ययन उपयोगी है। योजना अंतर्गत बीमा दावा प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों के समाधान हेतु संक्षिप्त जानकारी पत्रक, पत्र में संलग्न प्रेषित है।

(बी.एस.धुर्वे) 20/10/16

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 20.10.2016

पृ. क्रमांक/बी-8-5/2016/14-2

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, सहकारी संस्थायें/संस्थागत वित्त म.प्र. भोपाल।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग.....(समस्त)।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, ए.आई.सी.आई.एल./आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड/एच.डी.एफ.सी.इरगो  
भोपाल।

उप सचिव, 20/10/16

मध्यप्रदेश शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

487

युक्त  
20/10/16

for website

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा दावा प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी।**

जोखिम	जोखिम आवरण	फसल अवस्था	हानि पात्रता मानदंड	प्रभाव	हानि मूल्यांकन प्रक्रिया
बाधित / निष्कल / रोपण	कम वर्षा या विपरीत मौसम परिस्थितियां	बुवाई / रोपण न हो पाना / अक्षुण जोखिम	मुख्य फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई के 75% से अधिक क्षेत्र में बुवाई / रोपण न होने पर	एरिया प्रभाव (अधिसूचित बीमित इकाई स्तर पर)	जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
मध्यावधि मौसम प्रतिकूलता	बाढ़, दीर्घकालीन शुष्क मौसम और कठोर सूखे आदि	खड़ी फसल / कटने से 15 दिन पूर्व की अवस्था	अनुमानित उपज, शेराहोल्ड उपज से 50% कम आने पर	एरिया प्रभाव (अधिसूचित बीमित इकाई स्तर पर)	जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा अधिसूचना जारी की जाकर संयुक्त निरीक्षण हेतु बीमा कंपनी को <b>ससमय</b> जानकारी उपलब्ध कराई जानी है।
स्थानीय आपदा	अलावृष्टि, भूस्खलन एवं जल भराव	खड़ी फसल	जोखिम होने के 72 घंटों के भीतर कृषक / जिला प्रशासन / कृषि विभाग / राजस्व विभाग / वित्तीय शाखाओं द्वारा बीमा कंपनी के हेल्पलाईन नं. या ईमेल पर सूचना देने पर।	व्यक्तिगत खेत के आधार पर	जोखिम की सूचना देने की तिथि से 12 दिवस के भीतर व्यक्तिगत खेत का निरीक्षण कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी, कृषक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
फसल कटाई पर्याप्त होने वाली हानि	फसल कटने के 14 दिन बाद तक सूखने हेतु फैलायी गयी फसल पर चकवाट या बेमौसम वर्षा के कारण हानि	फसल कटाई पर्याप्त	जोखिम होने के 72 घंटों के भीतर कृषक / जिला प्रशासन / कृषि विभाग / राजस्व विभाग / वित्तीय शाखाओं द्वारा बीमा कंपनी के हेल्पलाईन नं. या ईमेल पर सूचना देने पर।	व्यक्तिगत खेत के आधार पर	जोखिम की सूचना देने की तिथि से 12 दिवस के भीतर व्यक्तिगत खेत का निरीक्षण कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी, कृषक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
सूचना देने हेतु बीमा कंपनियों के हेल्पलाइन नं एवं ईमेल	एग्रोकल्चर इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - हेल्पलाईन टोल फ्री नं -18001030051, ईमेल - <a href="mailto:ro.bhopal@aicoindia.com">ro.bhopal@aicoindia.com</a>				
एच.डी.एफ.सी.एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हेल्पलाईन टोल फ्री नं. - 18002666700, ईमेल- <a href="mailto:rural.claims@hdfcergo.com">rural.claims@hdfcergo.com</a>	एच.डी.एफ.सी.एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हेल्पलाईन टोल फ्री नं. - 18002666, ईमेल - <a href="mailto:pmfbyclaimintimation@icclombard.com">pmfbyclaimintimation@icclombard.com</a>				

नोट :- कृपया विस्तृत जानकारी के लिये <http://agri-insurance.gov.in/Login.aspx> पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका का अवलोकन करें।